

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 जुलाई 2017—श्रावण 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2017

क्र. बी-4-06-2017-2017-2-पांच.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, जबलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क निम्न शर्तों पर समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी शासकीय कोषालय में किया जा सकेगा:—

- (1) ऐसी प्रत्येक पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान उपर्युक्त रीति से कर दिया गया है. ऐसे पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किए जा सकेंगे.
- (2) समेकित रकम रुपए 110.00 लाख (एक सौ दस लाख रुपये) मात्र के भुगतान के चालान की एक प्रति मध्यप्रदेश के किसी शासकीय कोषालय में द्वितीय तिमाही के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, जबलपुर में प्रस्तुत की जाएगी.
- (3) कालावधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात् उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, जबलपुर को पॉलिसी क्रमांक, इनके द्वारा प्रतिभूत की गई राशि तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के अन्त में भुगतान की गई स्टाम्प शुल्क की निश्चित रकम से संबंधित विवरणी प्रस्तुत करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2017

क्र. एफ बी-4-06-2017-2-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-बी-4-05-2017-2-पांच (27), दिनांक 31 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 31st July 2017

No.B-4-06-2017-2-V-(27).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, directs that the Stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by Senior Divisional Manager, Life Insurance Corporation of India, Jabalpur during the financial year 2017-18 may be consolidated and paid into any Government Treasury of Madhya Pradesh on the following conditions:—

(1) It shall be indicated by endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner.. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.

(2) A copy of the Challan of payment of consolidation amount of Rs. 110.00 Lakh (Rupees One hundred ten Lakhs only) in any Government Treasury of Madhya Pradesh for Second quarter shall be submitted in the office of Deputy Inspector General of Registration, Jabalpur.

(3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the policy numbers of sum insured and the exact amount of Stamp Duty paid on the policies at the end of First, Second, Third and Fourth quarter shall be submitted to the office of Deputy Inspector General of Registration, Jabalpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.